चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर

प्रबन्ध मण्डल की १३६वीं बैठक

का कार्यवृत्त

चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर।

प्रबन्ध मण्डल की १२६वीं बैठक का कार्यवृत्त।

दिनांक : **१६.०७.२००८**
सभास्थल : **निदेशक (प्रसार) का समिति कक्ष**
समय : **पूर्वान्ह ११:०० बजे**

उपस्थिति :-

१.	**प्रो० (डा०) वी०के० सूरी,** कुलपति	अध्यक्ष
२.	**श्री पी०के० अग्रवाल,** विशेष सचिव, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ	सदस्य/प्रमुख सचिव, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान के प्रतिनिधि
३.	**डा० मसऊद अली,** निदेशक, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, कानपुर	सदस्य
४.	**श्री राम शिरोमणि शुक्ल,** सदस्य विधान सभा, शुक्ला भवन, ७८१/२ डी०, बाधम्बरी गद्दी रोड, नेह निकुंज कलोनी, अल्लापुर, इलाहाबाद	सदस्य
५.	**श्रीमती अरूणा तोमर,** सदस्य विधान सभा, ५६८, सफीपुर, लाल बंगला, रामादेवी चौराहा, कानपुर	सदस्या
६.	**श्री जय सिंह यादव,** सदस्य विधान परिषद, ६२ रायराम चरनदास रोड, ममफोर्डगंज, इलाहाबाद	सदस्य
७.	**श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह चन्देल,** १३३/१७२ पी, ट्रान्सपोर्ट नगर, सेन्ट्रल बैंक के सामने, कानपुर नगर - २०८ ०२३	सदस्य
८.	**डा० एस०एस० यादव,** ग्रा०-टोडरपुर, पो०-खेताबपुर, वाया-जखनिया, जिला-गाजीपुर	सदस्य
९.	**श्रीमती उर्मिला राजपूत,** पूर्व विधायक, पल्ला-गल्ला मंडी, फर्रुखाबाद	सदस्या
१०.	**श्री ज्ञान सिंह,** संयुक्त कृषि निदेशक,	सदस्य/निदेशक कृषि के प्रतिनिधि
११.	**डा० रूद्र प्रताप,** निदेशक, पशुपालन, उ०प्र०	सदस्य
१२.	**डा० वी०पी० कनौजिया,** अर्थ नियन्त्रक	सचिव

(हस्ताक्षर) कनौजिया

सर्वप्रथम कुलपति महोदय एवं अध्यक्ष, प्रबन्ध मण्डल ने मा० सदस्यों का स्वागत किया तथा नव नियुक्त मा० सदस्य श्री राम शिरोमणि शुक्ल, विधायक एवं मा० सदस्या श्रीमती अरुणा तोमर, विधायिका का स्वागत एवं बैठक में उपस्थित होने के लिए आभार व्यक्त किया।

मद संख्या १ : चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के प्रबन्ध मण्डल की दिनाँक ०६.०४.२००८ को सम्पन्न हुई १३५वीं बैठक की कार्यवाही का अनुमोदन।

प्रबन्ध मण्डल ने १३५वीं बैठक दिनाँक ०६.०४.२००८ की कार्यवृत्त का अनुमोदन/पुष्टि कर दी। प्रबन्ध मण्डल के मा० सदस्य श्री राम शिरोमणि शुक्ल जी द्वारा विचार व्यक्त किया गया कि कार्यवाही में प्रत्येक सदस्य के विचार दर्ज किये जॉय तथा वर्ष के अन्त में प्रबन्ध मण्डल की सभी बैठकों की कार्यवाही प्रकाशित की जाय, मा० सदस्य डा० मसऊद अली जी का भी यही विचार था। सर्वसम्मति से सभी सदस्यों ने कहा कि पारित प्रस्तावों के अतिरिक्त यदि किसी प्रस्ताव पर मा० सदस्य द्वारा टिप्पणी दर्ज कराई जाती है तो उसे अवश्य दर्ज किया जायेगा। प्रबन्ध मण्डल के मा० सदस्यों द्वारा कैरियर एडवान्समेन्ट स्कीम पर देय तिथि के बारे में पुनः चर्चा हुई जिस पर सर्वसम्मति से पूर्व में लिये गये निर्णय को ही अनुमोदित किया गया तथा निर्देश दिया गया कि देय तिथि से ही दिया जाय।

मद संख्या २ : चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के प्रबन्ध मण्डल की १३५वीं बैठक में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही।

प्रबन्ध मण्डल ने १३५वीं बैठक में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही पर संतुष्टि व्यक्त किया। प्रबन्ध मण्डल की १३५वीं बैठक के मद संख्या-११ पूरक ४ पर मा० सदस्य डा० मसऊद अली ने सुझाव दिया कि कृषि अभियंत्रण संकाय में प्राध्यापक नियुक्त हैं अतः उन्हें ही अधिष्ठाता का चार्ज दिया जाय तथा मा० सदस्य श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह चन्देल द्वारा सुझाव दिया गया कि गृह विज्ञान संकाय में जो प्राध्यापक का पद विज्ञापित है उसका साक्षात्कार करा लिया जाय। सुझाव पर चर्चा उपरान्त प्रबन्ध मण्डल ने सर्वसम्मति से निर्देश दिया कि कुलपति महोदय विश्वविद्यालय अधिनियम एवं परिनियम के अनुसार नियमानुसार कार्यवाही सम्पन्न करें।

मद संख्या ३ : शासनादेश संख्या -१८३६/ ६७-कृशिअ-०८-३०(२२)/६४टीसी दिनांक १५.०५.२००८ के प्रावधानानुसार याचिका संख्या-८३६ (एस/बी)/६४, याचिका संख्या-१४३७ (एस/बी)/०२ याचिका संख्या-१५६१(एस/बी)/६४ व याचिका संख्या-१५३० (एस/बी)/ ०२ के याचीगणों की भांति एवं आरक्षण नियमों का पालन करते हुए समानता के आधार पर विद्वत परिषद की १०६वीं बैठक दिनांक १७.०६.०८ के अनुमोदन के क्रम में विश्वविद्यालय के शोध सहायक संवर्ग में कार्यरत शेष अर्ह कर्मचारियों को सहायक प्राध्यापक वेतनमान रु० ८०००-१३५०० अनुमन्य कराये जाने एवं दिनांक ०८.०१.२००१ से अथवा अर्हता पूर्ण करने के दिनांक से शिक्षक घोषित किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

प्रस्ताव के सम्बन्ध में सचिव प्रबन्ध मण्डल द्वारा अवगत कराया गया कि इस प्रस्ताव में कतिपय आवश्यक संशोधन होने के कारण इस प्रस्ताव के स्थान पर अन्य प्रस्तावों में प्रस्ताव संख्या-१६ पूरक १ पर प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा रहा है। अतएव प्रस्ताव सं०-१६ पूरक १ पर विचार करने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

मद संख्या ४ : **डा० सतेन्द्र कुमार, सह-प्राध्यापक (मृदा विज्ञान), बाबा साहब डा० भीमराव अम्बेडकर कृषि अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, इटावा को सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ द्वारा विज्ञापित पद सह-प्राध्यापक (मृदा विज्ञान) पर कार्यमुक्त होने के दिनांक से २ वर्ष का धारणाधिकार (लियन) उनके मूल पद पर सुरक्षित रखने सम्बन्धी प्रस्ताव।**

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया। प्रमुख सचिव, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान के प्रतिनिधि द्वारा सुझाव दिया गया कि लियन की अवधि ६ माह शेष रहने पर सम्बन्धित से पूछ लिया जाय कि वह लियन समाप्ति पर वापस आयेंगे कि नही ? यदि नही तो नियुक्ति सम्बन्धी कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जाय। इस पर उपस्थित सदस्यों ने सहमति व्यक्त किया।

मद संख्या ५ : **डा० ओ०पी० सिंह, सहायक प्राध्यापक, सस्य दैहिकी विभाग को उनके द्वारा उपभोग किये गये दिनांक १७.०३.२००८ से १८.०५.२००८ तक (६३ दिन) का उपार्जित अवकाश उपभोग किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव।**

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया।

मद संख्या ६ : **डा० आशीष कुमार श्रीवास्तव, सहायक प्राध्यापक, सस्य विज्ञान विभाग को उनके द्वारा उपभोग किये गये दिनांक १७.०३.२००८ से २७.०५.२००८ तक (७२ दिन) का उपार्जित अवकाश उपभोग किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव।**

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया।

मद संख्या ७ : **डा० संजय सिंह, विषय वस्तु विशेषज्ञ (पौध उत्पादन) कृषि विज्ञान केन्द्र, इटावा (समायोजित) को दिनांक ०१.१०.२००७ से ३०.०९.२००९ तक (दो वर्ष) तक का और धारणाधिकार सुरक्षित रखने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।**

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया। प्रबन्ध मण्डल ने निर्देश दिया कि सम्बन्धित को विश्वविद्यालय में वापस आकर कार्यभार ग्रहण करने के लिए एक माह का समय दे दिया जाय, वापस न आने की स्थिति में नियमान्तर्गत कार्यवाही सम्पन्न की जाय। प्रबन्ध मण्डल ने सर्वसम्मति से यह निर्देश दिया कि भविष्य में धारणाधिकार समाप्त होने पर दुबारा प्रस्ताव धारणाधिकार समयावृद्धि हेतु प्रस्तुत न किया जाय।

मद संख्या ८ : **विश्वविद्यालय परिसर पर ५० कमरों के डबल सीटेड छात्रावास के निर्माण हेतु स्थल चयन का प्रस्ताव।**

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया। तदोपरान्त मा० सदस्यगण श्रीमती अरुणा तोमर, श्री पी०के० अग्रवाल, श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह चन्देल एवं डा० एस०एस० यादव द्वारा मा० कुलपति महोदय के साथ स्थलीय निरीक्षण किया गया तथा समस्त सदस्यों ने संतोष व्यक्त किया।

मद संख्या ९ : **विश्वविद्यालय परिसर पर कैफेटेरिया के निर्माण हेतु स्थल चयन का प्रस्ताव।**

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया। तदोपरान्त मा० सदस्यगण श्रीमती अरुणा तोमर, श्री पी०के० अग्रवाल, श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह चन्देल एवं डा० एस०एस० यादव द्वारा मा० कुलपति महोदय के साथ स्थलीय निरीक्षण किया गया तथा समस्त सदस्यों ने संतोष व्यक्त किया।

मद संख्या १० : **११वीं पचंवर्षीय योजना के अर्न्तगत खाद्य प्रसंस्करण में एक वर्षीय डिप्लोमा कोर्स प्रारम्भ करने विषयक कार्यों हेतु स्थल चयन का प्रस्ताव ।**

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया। तदोपरान्त मा० सदस्यगण श्रीमती अरुणा तोमर, श्री पी०के० अग्रवाल, श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह चन्देल एवं डा० एस०एस० यादव द्वारा मा० कुलपति महोदय के साथ स्थलीय निरीक्षण किया गया तथा समस्त सदस्यों ने संतोष व्यक्त किया।

मद संख्या ११ : **भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के राष्ट्रीय कृषि नवोन्मेषी परियोजना के अन्तर्गत स्वीकृत "Improvement in livelihood security of rural people living in disadvantaged districts of Uttar Pradesh through diversification in agriculture" शीर्षक परियोजना के विश्वविद्यालय में क्रियान्वयन के सन्दर्भ में।**

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया।

मद संख्या १२ : **गैर शैक्षिक पदों पर, नियुक्ति के प्राधिकार कुलपति महोदय में निहित है, नियुक्ति किये जाने हेतु वेतनमान की अधिकतम सीमा निर्धारित किये जाने हेतु प्रस्ताव।**

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया।

मद संख्या १३ : **विश्वविद्यालय में कार्यरत कर्मचारियों के उपार्जित/ चिकित्सा/ अर्धवेतन / अवैतनिक अवकाश की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव।**

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया।

मद संख्या १४ : **मेसर्स जैन इरिगेशन सिस्टम्स लिमिटेड (जे०आई०एस०एल०) जलगाँव-४२५००१ (महाराष्ट्र) तथा चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के मध्य कृषि शिक्षा, अनुसंधान तथा प्रसार के क्षेत्र में परस्पर सहयोग हेतु समझौता।**

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया। प्रबन्ध मण्डल के मा० सदस्यगण द्वारा जलगॉव भ्रमण करने की इच्छा व्यक्त की गई। प्रमुख सचिव, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान के प्रतिनिधि श्री पी०के० अग्रवाल, विशेष सचिव द्वारा MOU की प्रति शासन को उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गई।

मद संख्या १५ : **प्रगति आख्या (१५ जनवरी, २००८ से ३० जून, २००८ तक) चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर।**

प्रबन्ध मण्डल ने प्रगति आख्या को संज्ञान में लेते हुए संतोष व्यक्त किया।

(signature)

मद संख्या १६ : अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य प्रस्ताव।

पूरक १ : शासनादेश संख्या-१८३६/६७-कृशिअ-०८-३०(२२)/६४ टीसी दिनांक १५.०५.२००८ में निहित प्रावधानानुसार विद्वत परिषद की १०६वीं बैठक दिनांक १७.६.०८ में अनुमोदनोपरान्त शेष अर्ह शोध सहायकों को दिनांक ८.१.२००१ से अथवा अर्हता पूर्ण करने के दिनांक से, जो भी बाद में हो, शिक्षक घोषित किये जाने एवं सहायक प्राध्यापक का वेतनमान रू० ८०००-१३५०० अनुमन्य कराये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

प्रबन्ध मण्डल ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया। प्रबन्ध मण्डल ने शेष १२ शोध सहायकों, जो अर्हता पूर्ण नही करते हैं के सम्बन्ध में अर्हता शिथिल करते हुए सर्वप्रथम विश्वविद्यालय की विद्वत परिषद से शिक्षक घोषित करने के उपरान्त प्रस्ताव अगली बैठक में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

पूरक २ : याचिका संख्या-८३६(एस/बी)/६४ के शेष चार याचीगण एवं याचिका संख्या-११३१/एसएस/०१ के अर्ह ५ याचीगणों को शासनादेश दिनांक १५.५.२००८ के आलोक में दिनांक ८.१.०१ से या शैक्षिक योग्यता पूर्ण करने के दिनांक से सहायक प्राध्यापक/समकक्षीय वेतनमान रू० ८०००-१३५०० अनुमन्य कराये जाने का प्रस्ताव।

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया।

पूरक ३ : कृषि विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान केन्द्र बेलाताल, जनपद-महोबा में NAIP (National Agricultural Innovation Project) योजना की स्वीकृति/अनुमोदन हेतु प्रस्ताव।

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया।

पूरक ४ : विश्वविद्यालय में नियत वेतन पर भविष्य में स्वीकृत विभिन्न तदर्थ शोध परियोजनाओं के रिसर्च असिस्टेन्ट (RA) को जू० रिसर्च फेलो (JRF) तथा सीनियर रिसर्च असिस्टेन्ट (SRA)/रिसर्च एसोसिएट (RA) को सीनियर रिसर्च फेलो (SRF) पदनाम परिवर्तन करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया। प्रबन्ध मण्डल ने निर्देश दिया कि आदेश में Appointment शब्द नही होना चाहिए, Engagement शब्द होना चाहिए, तथा Co-Terminus with the project शब्द जरूर होना चाहिए।

पूरक ५ : शासनादेश संख्या-२६०/१२-८-२०००(४३)/६६ए दिनांक ०७.०२.२००० के प्राविधानानुसार कैरियर एडवान्समेन्ट स्कीम के तहत गठित कमेटी की अनुशंसा पर प्रबन्ध मण्डल की ११४वीं बैठक दिनांक ०६.०६.२००१ में १५ शिक्षकों तथा प्रबन्ध मण्डल की ११५वीं बैठक दिनांक ३.६.२००१ में ४ शिक्षकों को बैठक के दिनांक से एवं प्रबन्ध मण्डल की १२३वीं बैठक दिनांक ०८.०८.०३ में ७ शिक्षकों को नाम के सम्मुख उल्लिखित तिथि से प्रोन्नत पदनाम अनुमन्य कराया गया है, को उनकी अर्हता तिथि से पदनाम अनुमन्य कराये जाने के संशोधित आदेश निर्गत करने हेतु प्रस्ताव।

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया। श्री पी०के० अग्रवाल, विशेष सचिव ने इच्छा व्यक्त किया कि सम्बन्धित की Final Seniority List (Inter-se Seniority), आपत्ति प्राप्त करने के बाद शासन को उपलब्ध कराई जाय।

पूरक ६ : **कृषि विज्ञान केन्द्रों के लिए स्वीकृत फार्म मैनेजर एवं प्रोग्राम असिस्टेन्ट वेतनमान रू० ५५००-६००० के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों की अत्यधिक संख्या होने के कारण अभ्यर्थियों का स्क्रीन टेस्ट कराये जाने का कार्योत्तर अनुमोदन का प्रस्ताव।**

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया।

पूरक ७ : **विश्वविद्यालय में कार्यरत कर्मचारियों के उपार्जित/चिकित्सा/ अर्धवेतन/ अवैतनिक अवकाश की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव।**

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया।

पूरक ८ : **राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अर्न्तगत स्वीकृत "STRENGTHENING OF UNIVERSITY FARMS FOR SEED PRODUCTION" शीर्षक परियोजना के विश्वविद्यालय में क्रियान्वयन के संदर्भ में।**

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया।

अन्त में बैठक अध्यक्ष को धन्यवाद उपरान्त समाप्त हो गयी।

अनुमोदित

19-7-08

{प्रो० (डा०) वी०के० सूरी}
कुलपति एवं अध्यक्ष
प्रबन्ध मण्डल

{वी०पी० कनौजिया}
अर्थ नियन्त्रक एवं सचिव
प्रबन्ध मण्डल